विज्ञापन संख्या–

328/जी–437/2023

संशोधित विज्ञप्ति

आवश्यकता है

मुख्यमंत्री उत्तराखंड युवा पेशेवर 2019 एवं संशोधित नीति 2020 के अंतर्गत 11 माह के लिए दो युवा पेशेवरों को रखे जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखंड, देहरादून में विभागीय योजनाओं के मूल्यांकन कार्य अथवा सर्वेक्षण अथवा विश्लेषण अथवा प्रकाशन कार्य अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा नीति पत्र तैयार किए जाने संबंधी कार्यों के संपादन हेतु निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा **मुख्यमंत्री उत्तराखंड युवा पेशेवर नीति 2019 एवं संशोधित नीति, 2020** के अंतर्गत 11 माह के लिए दो युवा पेशेवरों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं–

आवश्यक दिशा निर्देशः–

1. युवा पेशेवरों के कार्य किए जाने की अवधि 11 माह निर्धारित है।
2. युवा पेशेवर कार्यक्रम के अधीन, आवेदकों के लिए निम्न मानदंड निर्धारित किए गये हैं। सभी युवा पेशेवरों के लिए आवश्यक है कि वे :–

   (क) भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उपाधि धारक (न्यूनतम 50 प्रतिशत) धारक होः

   परन्तु प्राप्तांक, राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए (न्यूनतम 45 प्रतिशत)।

   (ख) आयुर्वेद से सम्बन्धित योजना और परियोजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य/सर्वेक्षण/विश्लेषण/प्रकाशन कार्य/नीति पत्र को तैयार करने/आयुर्वेद एवं सूचना प्रौद्योगिकी के समन्वय सम्बन्धी कार्य में कम से कम एक वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।

   (ग) विज्ञापन की तिथि को आयु 20 से 30 वर्ष के मध्य होना अनिवार्य है।

   (घ) युवा पेशेवर को हिंदी, अंग्रेजी एवं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना अनिवार्य होगा।
3. श्रेष्ठता की गणना स्नातक में प्राप्त अंकों तथा कार्य अनुभव के आधार पर की जाएगी।
4. आयुर्वेद क्षेत्र में उपरोक्तवत 01, 02, 03 वर्ष के कार्यनुभव के क्रमशः 10, 20, 30 अंक प्रदान किये जायेंगे।
5. साक्षात्कार के 10 अंक प्रदान किये जायेंगे।
6. चयनित युवा पेशेवर को कार्य संपादन हेतु अपना स्वयं का लैपटॉप लाना होगा।
7. आवेदक के विरुद्ध पूर्व में किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक/दंडात्मक कार्यवाही न होने तथा विभागीय स्तर पर कार्यवाही लंबित ना होने का स्व प्रमाणित प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराना होगा।

8. प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच (scrutiny) के उपरांत अर्ह अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। इस संबंध में आवेदक को डाक/ईमेल के द्वारा सूचित किया जाएगा।

9. साक्षात्कार में चयनित आवेदकों को सूचीबद्ध किया जाएगा। सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया के संपादन के दौरान किसी विपरीत कार्यों में संलग्न पाए जाने अथवा कार्यों में शिथिलता की दशा में युवा पेशेवर को कभी भी हटाया जा सकता है।

10. युवा पेशेवर द्वारा निर्धारित अवधि पूरा न करने पर युवा पेशेवर को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

11. चयनित अभ्यर्थी/युवा पेशेवर को प्रतिमाह रू0 35,000/– की एक मासिक टोकन वृत्तिका देय होगी। यदि कोई युवा पेशेवर मध्य में ही, अर्थात सत्र (11 माह) के पूर्ण होने के पहले ही कार्य छोड़ देता है तो वह अवशेष वेतन तथा प्रमाण पत्र का हकदार नहीं होगा।

12. चयनित युवा पेशेवर को मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर नीति 2019 में उल्लिखित **''युवा पेशेवरों के दायित्वों''** का निर्वहन किया जाना होगा।

13. युवा पेशेवर को निर्दिष्ट कार्यों के अंतर्गत किये जाने वाले क्षेत्र कार्य हेतु टी0ए0 के लिए रू0 100/– तथा डी0ए0 हेतु रू0 200/– प्रतिदिन देय होगा।

14. आवेदक अपना आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप पर **निदेशालय, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं डांडा लाखौंड, सहस्त्रधारा रोड, निकट आईटी पार्क, देहरादून– 248001** के पते पर दिनांक 5 मई, 2023 की सांय 5:00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा उपलब्ध करा सकते है, तदोपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

15. आवेदनों को बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा स्वीकृत करने का सर्वाधिकार निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तराखंड, देहरादून के पास सुरक्षित होगा।

16. उक्त कार्यक्रम किसी भी प्रकार की रोजगार की गारंटी नहीं देता है।

अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में निदेशालय, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तराखंड, देहरादून के परिसर में उपस्थित होकर अथवा दूरभाष संख्या 0135–2608742 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(डॉ0 अरुण कुमार त्रिपाठी)
निदेशक
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय, निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्यमंत्री उत्तराखंड, युवा पेशेवर 2019 एवं संशोधित नीति, 2020

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम
2. पिता / पति का नाम
3. पत्राचार हेतु पता
4. स्थाई पता
5. ईमेलः
6. मोबाइल नंबर
7. जन्मतिथि

स्व प्रमाणित फोटो

8. शैक्षिक योग्यता

क0सं0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण का वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय	प्राप्तांक / प्रतिशत	विषय

9. युवा पेशेवर अवधि
10. अनुभव :
11. आपने युवा पेशेवर का चयन क्यों किया है (चयनित सेक्टर के संबंध में अधिकतम 100 शब्दों का उल्लेख प्रथक पृष्ठ में संलग्न करें)
12. आवेदक अपनी दो फोटो, आधार कार्ड की छाया प्रति तथा विश्वविद्यालय / संस्थान का परिचय पत्र (अध्ययनरत होने की स्थिति में) संलग्न करेगा।
13. आवेदक इस आशय का स्वः प्रमाणित घोषणा पत्र संलग्न करेगा कि उसके विरुद्ध संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा किसी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई है तथा उसके विरुद्ध कोई पुलिस केस नहीं है।
14. आवेदक द्वारा उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री उत्तराखंड युवा पेशेवर नीति 2019 के अंतर्गत किसी भी विभाग / मंडलायुक्त / जिलाधिकारी कार्यालय में कार्य नहीं किया गया है

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांकः

स्थानः

(आवेदक का नाम)